स्पाइसेस बोर्ड (बैठकें) नियम 1992

विषय सूची

अध्याय-1

प्रारंभिक

परिच्छेद		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएं	1

अध्याय-2

बोर्ड की बैठकों की कार्यविधि

3.	बोर्ड की बैठकें	3
4.	बैठकें बुलाने का अधिकार	3
5.	बैठकों केलिए सूचना	3
6.	कोरम	4
7.	बैठकों की अध्यक्षता	4
8.	कार्यसूची	4
9.	मतदान	5
10.	परिचालन द्वारा व्यापार	5
11.	व्यापार का अभिलेख	6

अध्याय-3

समिति की बैठकों की कार्यविधि

12.	बैठकें बुलाने का अधिकार	8
13.	कार्यसूची	8
14.	कोरम	9
15.	बैठकों की अध्यक्षता	9

SPICES BOARD (MEETINGS) RULES, 1992

CONTENTS

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Sections		Page
1.	Short title and commencement	1
2.	Definitions	1

CHAPTER - II

PROCEDURE FOR MEETINGS OF THE BOARD

3.	Meetings of the Board	3
4.	Power to call meetings	3
5.	Notice for the meetings	4
6.	Quorum	4
7.	Presiding of meetings	4
8.	Agenda	5
9.	Voting	5
10.	Business by circulation	6
11.	Record of business	

CHAPTER - III

PROCEDURE FOR MEETINGS OF THE COMMITTEE

12.	Power to call meetings	8
13.	Agenda	8
14.	Quorum	9
15.	Presiding of meetings	9

16. व्यापार का अभिलेख 10
17. मतदान 10
18. पर्चाओं के परिचालन द्वारा व्यापार 10

अध्याय-4

बोर्ड या समिति को देय यात्रा या अन्य भत्ते

19. बोर्ड एवं समिति के सदस्यों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ते 12
20. सवारी भत्ता 13

16. Record of business 10
17. Voting 10
18. Business by circulation of papers 10

CHAPTER - IV

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES PAYABLE TO THE BOARD OR A COMMITTEE

19. Travelling and daily allowances payable to members of the Board and Committee 12
20. Conveyance Allowance 13

IndiaCode

वाणिज्य मंत्रालय

मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम, 1992

9 जुलाई 1992

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई 1992

सा.का.नि. 673 (अ):- केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम 1992 है।

*(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

1. ''अधिनियम'' से मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है;
2. ''बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मसाला बोर्ड अभिप्रेत है,
3. ''अध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,
4. ''नियम'' से मसाला बोर्ड नियम, 1987 अभिप्रेत है,
5. ''सचिव'' से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है,

* स्पाइसेस बोर्ड (बैठकें) नियम 1992 भारत के राजपत्र, असाधारण; दिनांक: 10 जुलाई, 1992 में अधिसूचित हैं। स्पाइसेस बोर्ड (बैठकें) नियम 10 जुलाई 1992 से लागू हैं।

MINISTRY OF COMMERCE

(Spices Board (Meetings) Rules, 1992)

Notification

New Delhi, the 9th July, 1992

G. S. R. 673(E) -- In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules namely:-

Chapter - I

Preliminary

1. Short title and Commencement :-

(1) These rules may be called the Spices Board (Meetings) Rules, 1992.

*(2) They shall come into force on the date of their publication in official Gazette.

2. Definitions :-

In these rules, unless the context otherwise requires:-

(i) "Act" means the Spices Board Act of 1986 (10 of 1986);

(ii) "Board" means the Spices Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(iii) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under sub-section (3) (a) of section 3 of the Act;

(iv) "Rules" means the Spices Board Rules, 1987;

(v) "Secretary means Secretary of the Board appointed under Sub-section (1) of section 4 of the Act;

* The Spices Board (Meetings) Rules 1992 were notified in the Gazette of India Extraordinary dated 10th July 1992. The Spices Board (Meetings) Rules came into force from 10th July 1992.

6. ''उपाध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (7) के अधीन निर्वाचित बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है; और

7. उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमश: उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में है।

(vi) "Vice-Chairman" means Vice-Chairman of the Board elected under sub-section (7) of section 3 of the Act; and

(vii) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and rules made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act or rules made thereunder.

अध्याय 2

बोर्ड के अधिवेशनों केलिए प्रक्रिया

3. बोर्ड के अधिवेशन:

एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम तीन साधारण अधिवेशन ऐसी तारीख को, ऐसे समय और स्थानों पर होंगे जो अध्यक्ष ठीक समझे और दो साधारण अधिवेशनों के बीच अन्तराल किसी भी दशा में छः मास से लम्बा नहीं होगा।

4. अधिवेशनों को बुलाने की शक्ति:

(1) अध्यक्ष, किसी भी समय, बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगा और वह, यदि उसके समक्ष कम से कम दस सदस्यों द्वारा लिखित रूप में किसी अधिवेशन केलिए अध्यापेक्षा पेश की जाती है तो भी ऐसा करेगा:-

परन्तु अत्यावश्यकता की दशाओं में अध्यक्ष द्वारा किसी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन समन किया जा सकेगा, जो अग्रिम रूप से केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को विचार विमर्श केलिए विषय वस्तु और उन कारणों को जिनकेलिए वह ऐसे अधिवेशन को समन करना अत्यावश्यक समझता है, सूचित करेगा। ऐसे विशेष अधिवेशनों में कोई साधारण कामकाज नहीं किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी अधिवेशन में हाजिर होने केलिए बोर्ड के किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को आमन्त्रित कर सकेगा जिसकी सलाह बोर्ड केलिए आवश्यक समझी जाए, किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

5. अधिवेशनों केलिए सूचना:-

बोर्ड के किसी साधारण अधिवेशन के कम से कम चौदह दिन पूर्व आशयित अधिवेशन के समय और स्थान की सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना, केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ दी जाएगी या डाक द्वारा भेज दी जाएगी।

CHAPTER - II

PROCEDURE FOR MEETINGS OF THE BOARD

3. Meetings of the Board:-

There shall be not less than three ordinary meetings of the Board in a year, on such dates, time and at such places, as the Chairman may think fit, and the interval between any two ordinary meetings shall not in any case be longer than six months.

4. Power to call meetings :-

(1) The Chairman may, at any time, call a meeting of the Board and shall do so if a requisition for a meeting is presented to him in writing by at least ten members:

Provided that in cases of urgency, a special meeting of the Board may be summoned at any time by the Chairman, who shall inform in advance, the Central Government and the members, of the subject matter for discussion and the reasons for which he considers the summoning of such meetings urgently. No ordinary business shall be transacted at such special meetings.

(2) The Chairman may require any officer of the Board or invite any person whose advice may be considered necessary for the Board, to attend any meeting of the Board, but such officer or person shall not be entitled to vote.

5. Notice for the meetings:-

At least fourteen days before any ordinary meeting of the Board, notice of the time and place of the intended meeting, signed by the Secretary, shall be sent to the Central Government and left at or posted to the address of every member.

IndiaCode

6. गणपूर्ति:-

(1) बोर्ड के अधिवेशन में कोई कामकाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिवेशन में कम से कम दस सदस्य उपस्थित न हों।

(2)* यदि किसी समय किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम हो तो अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति उस तारीख तक अधिवेशन को स्थगित कर देगा, जो ऐसे अधिवेशन की तारीख से सात दिन से पश्चात् की न हो और ऐसा वह स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना बोर्ड के तत्कालीन सभी सदस्यों को देने के पश्चात करेगा और तदुपरान्त ऐसे स्थगित अधिवेशन में अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति केलिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना मूल अधिवेशन में किए जाने केलिए आशयित कारबार का निपटारा करे।

7. अधिवेशनों की अध्यक्षता करना:

अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं हैं तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने केलिए सदस्यों में किसी एक का निर्वाचन करेंगे।

8. कार्यसूची:-

(1) अध्यक्ष, ऐसे अधिवेशनों में किए जानेवाले कामकाज की सूची तैयार करवाएगा और साधारण अधिवेशनों की दशा में बोर्ड के अधिवेशन से कम से कम चौदह दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार को और बोर्ड के सदस्यों में उसे परिचालित करवाएगा।

* सा.का.नि. सं 116 (ई), दिनांक 24/2/94 की सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधित

6. Quorum :-

(1) No business shall be transacted at a meeting of the Board unless there are present at such meetings at least ten members.

(2)* If at any time the number of members present in a meeting is less than the number of members specified in sub-rule (1), the person presiding shall adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of such meeting, after informing all the members of the Board of the date, time and place of meeting and it shall thereupon be lawful for the person presiding at such meeting to dispose off the business intended to be transacted at the original meeting, irrespective of the number of members present.

7. Presiding of meetings :-

The Chairman or in his absence the Vice-Chairman shall preside at every meeting of the Board and if both the Chairman and the Vice-Chairman are not present, the members present at the meeting shall elect one of the members to preside over the meeting.

8. Agenda :-

(1) The Chairman shall cause to be prepared and circulated to the Central Government and among the members of the Board at least fourteen days before a meeting of the Board in case of ordinary meetings a list of business to be transacted at such meetings.

* Amended vide Govt. Notification GSR No. 116 (E) Dtd. 24.2.94

(2) ऐसे सदस्य जो कोई ऐसा विषय लाने के इच्छुक हैं जिस पर बोर्ड द्वारा संकल्प किया जाना हो, अध्यक्ष को किसी साधारण अधिवेशन के इक्कीस दिन पूर्व लिखित रूप में सूचना देंगे। सदस्यों द्वारा इस प्रकार लाए गए विषय यदि वे अधिनियम, नियमों और विनियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करते हैं तो कार्यसूची में सम्मिलित किए जा सकेंगे। यदि सदस्यों द्वारा लाया गया कोई भी विषय अधिवेशन केलिए कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता हैं तो संबंधित सदस्य को उसके कारण सूचित किए जा सकेंगे।

(3) कोई कामकाज, जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।

9. मतदान

(1) बोर्ड के अधिवेशन के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा।

(2) मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

10. परिचालन द्वारा कामकाज:

(1) कोई कामकाज, जो बोर्ड द्वारा किया जाना है, अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो सदस्यों को (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं है) कागजों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित कागजों की प्रतियाँ भी केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिचालित और ऐसे सदस्यों के जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचार को अभिलिखित किया है, बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प वैसे ही प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसे प्रस्ताव या संकल्प का किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया गया हो:

(2) The members who are desirous of bringing any subject on which resolutions have to be made by the Board shall inform the Chairman in writing twenty one days prior to an ordinary meeting. The subjects so brought by the members may be included in the agenda, if they do not contravene any of the provisions of the Act, Rules and Regulations. If any subject brought by the members is not included in the agenda for the meeting, the member concerned may be informed the reasons therefor.

(3) No business, not included in the agenda shall be transacted without the permission of the Chairman.

9. Voting :-

(1) Every question brought before a meeting of the Board shall be decided by a majority of the members present and voting.

(2) In the case of an equality of votes, the Chairman or the member presiding over such meeting shall have a second or casting vote.

10. Business by Circulation :--

(1) Any business which is to be transacted by the Board may, the Chairman so directs, be referred to members (other than members who are not in India) by circulation of papers and copies of papers so circulated, shall also be sent to the Central Government.

(2) Any proposal or resolution circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of the members who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members at a meeting:

परन्तु यह तब जबकि बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों ने उस प्रस्ताव या संकल्प का अनुमोदन किया हो:

परन्तु यह और कि जब कोई प्रस्ताव या संकल्प सदस्यों को परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो बोर्ड के कोई भी पांच सदस्य यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह प्रस्ताव या संकल्प सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशन में निर्दिष्ट किया जाए।

(3) जब कोई कामकाज उपनियम (1) के अधीन परिचालन द्वारा बोर्ड के सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कम से कम दस दिन की कालावधि सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति केलिए अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी कालावधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कामकाज की सूचना जारी की जाती है।

(4) जहां कोई प्रस्ताव या संकल्प उपनियम (1) के अधीन परिचालित किया जाता है वहां परिचालन का परिणाम बोर्ड के सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।

(5) प्रश्नों पर सभी विनिश्चय, जो कागजों के परिचालन द्वारा किए गए हो, बोर्ड के अगले अधिवेशन में अभि लेख केलिए रखे जाएंगे।

11. कामकाज का अभिलेख:

(1) बोर्ड की सभी कार्यवाहियों और बोर्ड द्वारा किए गए कामकाज की सभी मदों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

(2) नियम 10 के अधीन जब कोई कामकाज कागजों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार किए गए कामकाज के अभिलेख पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सा.का.नि. सं 116 (ई), दिनांक 24/2/94 की सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधित

Provided that atleast ten members of the Board have approved the proposal or resolution.

Provided further that when a proposal or resolution is referred to the members by circulation, any five members of the Board may require that the proposal or resolution may be referred to members at a meeting of the Board.

(3) When any business is referred to members of the Board under sub-rule (1) by circulation, a period of not less than ten days shall be allowed for receipt of replies from members and such period shall be reckoned from the date on which the notice of business is issued.

(4) Where a proposal or resolution is circulated under sub-rule (1), the result of the circulation shall be communicated to all members of the Board and to the Central Government.

(5) All decisions on questions arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting of the Board for record.

11. Record of business :-

(1) A record of all proceedings of the Board shall be maintained by the Secretary of all items of business transacted by the Board and copies of such record shall be forwarded to the Central Government.

(2) When a business is transacted by circulation of papers under rule 10, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman.

* Amended wide Govt. Notification GSR No. 116 (E) Dtd. 24.2.94

IndiaCode

(3) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में किए गए कामकाज के अभिलेख पर यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अथवा ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे।

(5) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्य बोर्ड द्वारा उस प्रयोजन केलिए उपबन्धित पुस्तक में अपने नाम पर हस्ताक्षर करेंगे।

(3) The record of business transacted at every meeting of the Board shall be signed by the Chairman or Vice - Chairman or the member presiding at such meetings, as the case may be.

(4) The names of the members present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

(5) A member present at any meeting of the Board shall sign his name in a book to be provided by the Board for that purpose.

IndiaCode

अध्याय 3

समिति की बैठक केलिए प्रक्रिया

12. बैठक बुलाने की शक्तिः-

(1) संबंधित समिति का अध्यक्ष किसी भी समय समिति की बैठक बुला सकेगा और वह, यदि समिति की बैठक केलिए उसके समक्ष समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में कोई अध्यापेक्षा प्रस्तुत की जाती है तो भी ऐसा करेगा:

परन्तु अत्यावश्यकता की दशा में समिति की विशेष बैठक किसी भी समय उसके अध्यक्ष द्वारा समन की जा सकती है जो अग्रिम रूप से उसके सदस्यों को विचार विमर्श केलिए विषयवस्तु और उन कारणों को, जिनकेलिए वह ऐसी बैठक को समन करना अत्यावश्यक समझता है, सूचित करेगा:

परन्तु यह और कि समिति की ऐसी विशेष बैठक में कोई साधारण कामकाज नहीं किया जाएगा।

(2)* समिति का अध्यक्ष समिति की किसी बैठक में हाजिर रहने केलिए बोर्ड के किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकेगा किन्तु इस प्रकार अपेक्षित या आमन्त्रित अधिकारी या व्यक्ति ऐसी बैठक में मत देने के हकदार नहीं होंगे।

(3) किसी समिति की किसी बैठक के कम से कम दस दिन पूर्व आशयित बैठक की तारीख, समय और स्थान की सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ दी जाएगी या डाक द्वारा भेज दी जाएगी।

(4) किसी स्थाई समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

13. कार्यसूची:

(1) संबंधित समिति का अध्यक्ष ऐसी बैठक में किए जाने वाले कामकाज की सूची

* सरकारी अधिसूचना सा. का. नि. सं 116 (ई) दिनांक 24/2/94 द्वारा संशोधित

IndiaCode

CHAPTER - III

PROCEDURE FOR MEETINGS OF THE COMMITTEE

12. Power to Call Meetings :-

(1) The Chairman of the Committee concerned may, at any time call a meeting of the Committee and shall do so if a requisition for a meeting of the Committee is presented to him in writing by at least one third of the total number of members of the Committee:

Provided that in the case of urgency, special meeting of a Committee may be summoned at any time by its Chairman, who shall inform in advance the members thereof, of the subject matter for discussion and the reasons for which he considers the summoning of such meetings urgently:

Provided further that no ordinary business shall be transacted at such special meetings of the Committee.

(2)* The Chairman of a Committee may require any officer of the Board or invite any other person or persons to attend any meeting of the Committee, but the officer or person(s) so required or invited shall not be entitled to vote at such meeting.

(3) At least ten days before any meeting of a Committee notice of the date, time and place of the intended meeting, signed by the Secretary, shall be left at or posted to the address of every member of the Committee.

(4) Notice of every meeting of a standing Committee shall be sent to the Central Government.

13. Agenda:-

(1) The Chairman of the Committee concerned shall cause to be prepared and circulated to all the members of the Committee, at least seven days before

* Amended vide Govt. Notification GSR No. 116 (E) Dtd. 24.2.94

तैयार करवाएगा और समिति की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व समिति के सभी सदस्यों में उसे परिचालित करवाएगा।

(2) कोई कामकाज जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की बैठक में नहीं किया जाएगा।

(3) बैठक के कार्यवृत्त और स्थाई समिति की कार्यवाहियों की प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी।

14. गणपूर्ति:

(1) स्थाई समिति की किसी बैठक में कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्य या तीन सदस्य, जो भी अधिक हों, उपस्थित न हों।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति से भिन्न किसी समिति की बैठक केलिए गणपूर्ति ऐसी समिति के कुल सदस्यों के आधे से होगी।

(3)* यदि किसी समय, समिति की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या उपनियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस तारीख तक बैठक स्थगित कर देगा जो बैठक की तारीख से सात दिनों से पश्चात की न हो और समिति के सभी सदस्यों को स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा और तदुपरि अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह स्थगित बैठक में हाजिर रहनेवाले सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना मूल बैठक में किए जाने केलिए आशयित कामकाज का निपटारा करे।

15. बैठकों की अध्यक्षता करना:

(1) अध्यक्ष ''कार्यपालक समिति'', ''इलायची अनुसंधान और विकास समिति'' और ''मसाला विपणन विकास समिति'' की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता

* सरकारी अधिसूचना सा.का.नि. सं. 116 (ई) दिनांक 24/2/94 द्वारा संशोधित

a meeting of the Committee, a list of business to be transacted at such meeting.

(2) No business not included in the agenda, shall be transacted at a meeting of a Committee without the permission of the Chairman.

(3) A copy of agenda for the meeting and the proceedings of Standing Committee shall be sent to the Central Government also.

14. Quorum:-

(1) No business shall be transacted at a meeting of a Standing Committee unless "there are present at least one third of the members of such Committee or three members whichever is more.

(2) The quorum for a meeting of any Committee other than a Committee referred to in sub-rule (1) shall be one half of the total number of members of such Committee.

(3)* If at any time, the number of members present in a meeting of a Committee is less than the number specified in sub-rule (1) or (2), the person presiding shall adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the meeting and inform all the members of the Committee of the date, time and place of the next meeting and it shall thereupon be lawful for a person presiding to dispose of at such meeting the business intended to be trasacted at the original meeting irrespective of the number of members attending the adjourned meeting.

15. Presiding of meetings :-

(1) The Chairman shall preside over the meetings of the "Executive Committee", "Research and Development Committee for Cardamom" and "Market Development Committee for Spices". In the absence of the Chairman the Vice-Chairman, shall preside over the meetings of these committees. In the absence of Chairman and

* Amended wide Govt. Notification GSR No. 116 (E) Dtd. 24.2.94

करेगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने केलिए अपने में से किसी एक व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति से भिन्न किसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी:

परन्तु ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

16. कामकाज का अभिलेख:

समिति की सभी कार्यवाहियों का अभिलेख सचिव द्वारा, समिति द्वारा किए गए कामकाज की सभी मदों के बारे में रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

17. मतदान:

किसी समिति के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय ऐसी बैठक में उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

18. कागजों के परिचालन द्वारा कामकाज:

(1) कोई कामकाज जो समिति द्वारा किया जाना है यदि उसका अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझता है तो ऐसी समिति के सदस्यों को (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत में अनुपस्थित हैं) कागजों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिचालित और ऐसी समिति के सदस्यों के, जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचारों को अभिलिखित किया है बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प उतना ही प्रभावी और आबद्धकर होगा, मानो ऐसे प्रस्ताव या संकल्प का विनिश्चय ऐसी समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया गया था।

Vice-Chairman the members present at the meeting shall elect one person from amongst themselves to preside over the meetings.

(2) The meetings of any Committee other than the Committees referred to in sub-rule (1) shall be presided over by the person appointed as its Chairman:

Provided that in the absence of such person, a person elected by the members of that Committee from amongst themselves shall preside over such meetings.

16. Record of Business :-

A record of all proceedings of the Committee shall be maintained by the Secretary of all items of business transacted by the Committee and copies of such record shall be forwarded to the Central Government.

17. Voting :-

Every question brought before any Committee shall be decided by a majority of the members thereof present and voting at such meeting and in the event of an equality of votes, the person presiding over such meeting shall have a second or casting vote.

18. Business by Circulation of papers :-

(1) Any business which is to be transacted by a Committee if the Chairman thereof so considers necessary, may be referred to the members of such Committee (other than the members who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any proposal or resolution circulated under sub-rule (1) and approved by a majority of the members of such Committee who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members of such committee at a meeting:

परन्तु यदि ऐसी समिति के तीन सदस्य अपेक्षा करते हैं कि प्रस्ताव या संकल्प समिति की किसी बैठक में सदस्यों को विनिर्दिष्ट किया जाए तो प्रस्ताव या संकल्प समिति की किसी बैठक में रखा जाएगा।

(3) जहां ऐसे किसी प्रस्ताव या संकल्प को समिति के सदस्यों को कागजों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया गया है वहां कम से कम दस दिन का समय उत्तर की प्राप्ति केलिए अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको ऐसे प्रस्ताव या संकल्प की सूचना परिचालित की जाती है।

(4) यदि इस नियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

(5) सभी विनिश्चय, जो कागजों के परिचालन द्वारा किए गए हों, बोर्ड के अगले अधिवेशन में अभिलेख केलिए रखे जाएंगे।

Provided that if three members of such a Committee require that the proposal or resolution be referred to members at a meeting of the Committee, the proposal or resolution shall be placed at a meeting of the Committee.

(3) Where a proposal or resolution is referred to the members of a Committee by circulation of papers, a period of not less than ten days shall be allowed for the receipt of replies and such period shall be reckoned from the date of which notice of such proposal on resolution is circulated.

(4) If a proposal or resolution is circulated under this rule, the result of circulation shall be communicated to all members of the Committee.

(5) All decisions arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting of the Committee for record.

IndiaCode

अध्याय 4

बोर्ड या समिति के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते

19.* बोर्ड तथा समिति के सदस्यों को संदेय यात्रा और दैनिक भत्ते

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के पदीयों से भिन्न बोर्ड के सदस्य बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में हाजिर होने केलिए उनके द्वारा की गई यात्राओं केलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों के संदाय केलिए हकदार होंगे।

(2) समिति की किसी बैठक में हाजिर होने के प्रयोजन केलिए बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति के सहयोजित सदस्य द्वारा की गई यात्रा की दशा में, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों के संदाय केलिए हकदार होगा।

(3) किसी समिति की किसी बैठक में हाजिर होने केलिए या बोर्ड अथवा समिति के किसी अन्य कामकाज केलिए केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी पदीय द्वारा की गई किसी यात्रा की दशा में यात्रा और दैनिक भत्ते उसे उस सरकार के नियमों के अधीन, जिसके अधीन वह तत्समय नियोजित है, अनुज्ञेय होंगे।

(4) कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता बोर्ड के या किसी समिति के सदस्य को तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह यह प्रमाणित न करे कि उसने उस यात्रा और विराम के संबंध में, जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया है।

(5) यात्रा भत्ता बोर्ड या समिति के सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से अधिवेशन के स्थान तक या उस स्थान तक जहां वह बोर्ड या किसी समिति के किसी

* सरकारी अधिसूचना सा.का.नि. सं. 116 (ई), दिनांक24/2/94 द्वारा संशोधित

CHAPTER -IV

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCE PAYABLE TO MEMBERS OF THE BOARD OR A COMMITTEE

19.* Travelling and daily Allowances payable to Members of the Board and Committee.

(1) Members of the Board, other than officials of the Central or State Government, shall be entitled to payment of travelling and daily allowances for journey undertaken by them for attending any meeting of the Board or of any Committee at the highest rates admissible to Government servants of the first grade under the rules made by the Central Government and for the time being in force.

(2) In the case of journey performed by a co-opted member of the board or of any Committee of the Board for the purposes of attending a meeting of the Committee, he shall be entitled for payment of travelling and daily allowances at the highest rates admissible to Government servants of the first grade under the rules made by the Central Government and for the time being in force.

(3) In the case of any journey performed by an official of the Central or State Government for attending any meeting of a Committee or for any other business of the Board or a Committee, the travelling and daily allowances shall be admissible to him under the rules of the Government under which he is for the time being employed.

(4) No travelling allowance or daily allowances shall be allowed to a member of the Board or of any Committee unless he certifies that he has not drawn any travelling allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(5) Travelling allowances shall be payable from the usual place of residence of a member of the Board or a

* Amended vide Govt. Notification GSR No. 116 (E) Dtd. 24.2.94

कामकाज में हाजिर होने केलिए गया है और वापस अपने स्थान या निवास केलिए संदेय होगा।

परन्तु जब यात्रा किसी स्थान से प्रारम्भ होती है और वापसी यात्रा किसी अन्य स्थान पर समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक जो उस दशा में संदेय होती जब यात्रा प्रारम्भ और समाप्त प्रायिक निवास स्थान पर होती या उस रकम तक, जो की गई वास्तविक यात्रा के संबंध में संदेय होती, जो भी कम हो, सीमित होगी।

20. वाहन भत्ता:

(1) बोर्ड या किसी समिति के किसी अधिवेशन में हाज़िर होने केलिए अथवा बोर्ड या समिति के किसी अन्य कामकाज केलिए किसी वाहन भत्ते या बोर्ड या समिति के ऐसे सदस्यों को संदाय नहीं किया जाएगा जो यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता लेते हैं।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या समिति के किसी सदस्य को, जो उस स्थान का निवासी है जहां बोर्ड या समिति का अधिवेशन किया जाता है अथवा जहां बोर्ड या किसी समिति का कोई अन्य कामकाज किया जाता है, उसके द्वारा वाहन पर उपगत वास्तविक व्यय का संदाय किया जा सकेगा और उसके प्रत्येक दिन केलिए अधिकतम पचास रुपये के अधीन रहते हुए दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

[(फा.सं.2/11/ 87-ई. पी. कृषि 5 जिल्द (II)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

Committee to the places of the meeting or the place where he has gone to attend to any business of the Board or a Committee and back to his place of residence :

Provided that when the journey commences from or the return journey terminates at any other places, the travelling allowance shall be limited to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of residence, or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less.

20. Conveyance Allowance :-

(1) No conveyance allowance for attending any meeting of the Board or of a Committee or for any other business of the Board or a Committee shall be paid to the members of the Board or of a Committee who draw travelling allowance or daily allowance.

(2) Notwithstanding anything contained in subrule (1) a member of the Board or a Committee who is resident at a place where the meeting of the Board or a Committee is held or where any other business of the Board or a Committee is transacted may be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him and daily allowance may be paid to him subject to a maximum of rupees fifty for each day.

(File No.2/11/87-EP Agri V Volume II)

Ashok Kumar, Joint Secretary.